न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर देसूरी (जिला. पाली)

न्याय आपके द्वार अभियान वर्ष 2016

लोक अदालत / केम्प कोर्ट 2016

पीठासीन अधिकारी : श्री पर्वतसिंह चुण्डावत, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 87/2016

वादीगण :- बनाम प्रतिवादीः-

खेतारा‍म पुत्र चतराराम कौम घांची राजस्थान सरकार तहसीलदार

नि. नाडोल

राजस्व वाद बाबत अन्तर्गत 88 राजस्थान काश्तकार अधिनियम, 1955 तारीख रजूः 27/06/2016

उपस्थितः. वादीगण

-:: निर्णय ::- दिनॉकः- 27/06/2016

''लोक अदालत / केम्प कोर्ट -2016 में राज्य सरकार के निर्देशानुसार मजमा-ए-आम शिविर ग्राम पंचायत नाडोल पर आयोजित लोक अदालत / केम्प कोर्ट'' में वादीगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा ग्राम नाडोल चक 2 के जमाबंदी संवत् वादी के दादाजी का नाम कना के स्थान पर कलाराम दर्ज हो गया जो कि गलत है अतः इसे कनाराम दुरस्त करने हेतू वादी द्वारा वाद मय दस्तावेजात् प्रस्तुत किया गया।

पटवारी हल्का नाडोल चक 2 व भू.अ.नि नाडोल की रिर्पोट ली गई एवं तहसीलदार देसूरी की अनुशंषा वादी के दादाजी का नाम चतरा,दला,पकीया,गला पुत्र कना मौजा ग्राम नाडोल 2 के जमाबंदी संवत् 2022 से 2025 के खाता संख्या 67 एवं जमाबंदी संवत् 2026 से 2029 में दर्ज होना बताया गया। अतः वादी के दादा के नाम मौजा ग्रम नाडोल 2 पटवार हल्का नाडोल चक 2 के जमाबंदी संवत् 2070 से 2073 के खाता संख्या 169 में चतरा,दला,पकाराम,गला पि. कलाराम 1/4 के स्थान पर चतरा,दला,पकाराम,गला पि. कनाराम 1/4 नाम दुरस्त किया जाना उचित है।

हमने पत्रावली प्रस्तुत दस्तावेजात,पटवारी व भू.अ.नि. की रिर्पोट , तहसीलदार देसूरी की अनुशंषा के आधार एवं वादी द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण-पत्र के अवलोकन करने से स्पष्ट साबित होता है कि वादीगण के पिता का नाम दुरस्त किया जाकर वादपत्र डिक्री करना उचित समझता हूँ।

-:: आदेश ::-

अतः अन्तिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती है कि वादीगण के दादा का नाम मौजा ग्रम नाडोल 2 पटवार हल्का नाडोल चक 2 के जमाबंदी संवत् 2070 से 2073 के खाता संख्या 169 में चतरा,दला,पकाराम,गला पि. कलाराम 1/4 के स्थान पर चतरा,दला,पकाराम,गला पि. कनाराम 1/4 दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सामिल मिसल किया जावें। निर्णय,डिक्री पर्चा की प्रति, तहसीलदार, देसूरी को पालना हेतू भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेखा भण्डार जमा हो।

(पर्वतसिंह चुण्डावत)
उपखण्ड अधिकारी, देसूरी
जिला.पाली (राज0)

प्रभारी अधिकारी न्याय आपके द्वार अभियान 2016
उपखण्ड अधिकारी देसूरी

निर्णय आज दिनॉक 27/06/2016 को लोक अदालत / केम्प कोर्ट 2016 शिविर अटल सेवा केन्द्र नाडोल में सरे मजमा आम सुनाया गया।

केम्प ....

(पर्वतसिंह चुण्डावत)
उपखण्ड अधिकारी, देसूरी
जिला.पाली (राज0)

प्रभारी अधिकारी न्याय आपके द्वार अभियान 2016
उपखण्ड अधिकारी देसूरी
केम्प ....